

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-9/आ०-04-08/2024(स्वा०)...../ पटना, दिनांक:-.....

डा० सुधाशु कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा दिनांक-10.08.2024 को संस्थान के औचक निरीक्षण में दिनांक-10.08.2024 को अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. विभागीय ज्ञापन सं०-1071(9) दिनांक-25.10.2024 द्वारा डा० कुमार से आरोप-पत्र गठित कर स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

3. डा० कुमार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित कर अवगत कराया गया है कि उक्त तिथि को उनका कर्तव्य SNCU में रात्रि 08:00 बजे से अगली तिथि के सुबह 08:00 बजे तक निर्धारित था। उनके द्वारा रात्रि में SNCU में भर्ती मरीज का ईलाज किया गया है।

4. विभागीय पत्रांक-95(9) दिनांक-27.01.2025 द्वारा डा० कुमार के स्पष्टीकरण पर सिविल सर्जन, लखीसराय से मतव्य की माँग की गयी। तदालोक में सिविल सर्जन, लखीसराय के पत्रांक-357 दिनांक-11.03.2025 द्वारा सूचित किया गया है कि डा० कुमार द्वारा दिनांक-10.08.2024 को निर्धारित कार्य तालिका के अनुसार SNCU में कार्य किया गया है।

5. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा डा० कुमार के विरुद्ध गठित आरोप-पत्र एवं उनसे प्राप्त प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। सम्यक समीक्षापरांत पाया गया कि डा० कुमार द्वारा निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन किया गया है।

6. फलतः डा० कुमार को अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त करने का विनिश्चय किया गया है।।

7. अतएव डा० सुधाशु कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय के विरुद्ध दिनांक-10.08.2024 को अग्रिम उपस्थिति दर्ज कर कर्तव्य पर अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप से मुक्त किया जाता है।

8. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(उपेन्द्र राम)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक:-9/आ०-04-08/2024(स्वा०).....९३६(९)...../पटना, दिनांक:-23.7.25

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार पटना/प्रभारी वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, लखीसराय/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुंगेर प्रमडल, मुंगेर/सिविल सर्जन, लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

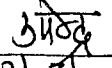
प्रतिलिपि:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/07/2025

प्रतिलिपि—डा० सुधाशु कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, लखीसराय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, 7, 8, 10, 17 एव 18A को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—आई०टी० मैनेजर, स्वा० विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23/07/2025
सरकार के अवर सचिव।